

14.3.22

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपरिष्ठ  
वादी अधिवक्ता द्वारा आदेशिका पर  
नोट पेश कर वाद को आगे नहीं  
चलाने का निवेदन किया है। वादी का  
वाद नोट प्रेस में खारिज किया जाना  
है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया  
गया। पत्रावली फैसल शमार होकर,  
नम्बर से कम होकर साखिल 1 फरद हो।

Mutpress  
14/3/22

